न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –124 /2020 (Bank Case)

"इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड", जिसका पंजिकृत कार्यालय– 6th फ्लोर, प्लॉट नं0 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व0 भैरूलाल (ऋणी/बन्धनकर्ता)
   पता– रामायन भवन के सामने, वार्ड नं0 3, सकतपुरा, जिला कोटा, राजस्थान–324008
2. श्री सुरेन्द्र कुमार मेघवाल पुत्र श्री भैरूलाल (सहऋणी)
   पता– रामायन भवन के सामने, वार्ड नं0 3, सकतपुरा, जिला कोटा, राजस्थान–324008

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः– श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 11.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड", जिसका पंजिकृत कार्यालय– 6जी फ्लोर, प्लॉट नं0 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.04.2016 को रूपये 2,00,000/–(अक्षरेः रूपये दो लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व0 भैरूलाल, सर्वे नंम्बर– आर/01/00605, सकतपुरा कोटा राजस्थान–324008, जिसका कुल क्षेत्रफल 836 स्क्वायर फुट हैं– जिसकी चतुर्थ सीमाऐं पूर्व में रोड, पश्चिम में मोहन लाल का मकान, उत्तर में हंसराज जी का मकान तथा दक्षिण में सुरेन्द्र जी का मकान, जिसका पट्टा कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा कमांक/646 दिनांक 26.7.2013 से जारी किया गया है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा द्वारा 25.10.2013 को किया गया है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 1,94,006/–(अक्षरे रूपये एक लाख चौरानवें हजार छः मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 15.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व0 भैरूलाल, सर्वे नंम्बर– आर/01/00805, सकतपुरा कोटा राजस्थान–324008, जिसका कुल क्षेत्रफल 836 स्क्वायर फुट हैं– जिसकी चतुर्थ सीमाऐं पूर्व में रोड, पश्चिम में मोहन लाल का मकान, उत्तर में हंसराज जी का मकान तथा दक्षिण में सुरेन्द्र जी का मकान, जिसका पट्टा कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा कमांक/646 दिनांक 26.7.2013 से जारी किया गया है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा द्वारा 25.10.2013 को किया गया हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner